न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/119/2022	2022/240	27.09.2022	02.12.2025

1. सरकार जर्ये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार राजगढ़, अलवर (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. आबिद पुत्र श्री हेमुद्दीन निवासी सुका का बास महुआ खुर्द, तह0 मालाखेडा जिला अलवर।
2. जितेन्द्र शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा निवासी डेरा तहसील रैणी जिला (अलवर) प्रो. हिमांशु खाद बीज भण्डार पालपुर तहसील टहला अलवर।
3. प्रेम चन्द शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा निवासी डेरा तहसील रैणी जिला (अलवर) प्रो. हिमांशु खाद बीज भण्डार पालपुर तहसील टहला अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. विभागीय पैरोकार —प्रार्थी

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कुल 75 कट्टे डीएपी को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.09.2022 को दूरभाष पर सूचना मिली कि गाडी नम्बर आरजे 32 जीबी 4161 में डीएपी उर्वरक भरा हुआ है और गाडी पालपुर पेट्रोल पम्प पर खडी है, कि सूचना पाकर मैं गोकरण मीणा, कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ, अलवर, श्री विश्राम मीणा, कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ़, अलवर एवं गाडी ड्राईवर इन्द्रलाल मीणा पालपुर पेट्रोल पम्प पहुंचे। पालपुर पेट्रोल पम्प पर बोलेरो पिकअप गाडी नम्बर आरजे 32 जीबी 4161 खड़ी है. जिसमें डीएपी के 75 बैग भरे है। जिसको पुलिस की सहायता से पुलिस थाना टहला लेकर आए एवं गाडी के ड्राईवर आबिद पुत्र श्री हेमुद्दीन के बयान कलमबद्ध किये गये। आबिद ने बताया कि मै सुका का बास महुआ खुर्द, तहसील मालाखेडा जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम हेमुधीन है। मैनें उर्वरक डीएपी के 75 बैग लालडिग्गी, घोडा फेर चौराहे के पास अलवर के एक गोदाम से भरे। मुझे उर्वरक पालपुर तहसील टहला मोबाइल नम्बर 9057623818 श्री जितेन्द्र शर्मा के यहां पहुँचाने के लिए मोबाईल नम्बर 9610522836 श्री प्रेमचन्द शर्मा के द्वारा बोला गया। जिसका मुझे 3500 रू गाडी का किराया देना तय हुआ। मुझे किसी प्रकार का बिल, बिल्टी व चालान नहीं दिया गया है।

उक्त उर्वरक नकली डीएपी होने का संदेह है, इसलिए दिनांक 24.09.2022 को रात्रि 11.10 बजे उर्वरक का नमूना जांच हेतु आहरित किया गया एवं इस कार्यालय के पत्रांक 6071 दिनांक 26.09.2022 के द्वारा श्रीमान उप निदेशक कृषि (गुण नियत्रंण) राजकीय उर्वरक परिक्षण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर को भिजवाया गया एवं शेष दो रैफरी नमूने इस कार्यालय के पत्रांक 6072 दिनांक 26.09.2022 द्वारा श्रीमान् सयुंक्त निदेशक कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड, भरतपुर कि अभिरक्षा में भेजे गये। उक्त डीएपी उर्वरक अवैध कारोबार के तहत कालावाजारी हेतु ले जाया जा रहा था। इसलिए उक्त डीएपी उर्वरक के 75 कट्टे एवं बोलेरो पिकअप गाडी नम्बर आजे 32 जीबी 4161 जब्त कर श्री प्रेमराज कांस्टेबल 2271 पुलिस थाना टहला को सुपूर्द किया गया।

उक्त अवैध एवं नकली कारोबार में सलिंप्तता के मध्य नजर बोलेरो पिकअप ड्राईवर श्री आबिद पुत्र श्री हेमुद्दीन को टहला पुलिस थाने में देकर ड्राइवर श्री आविद, जितेन्द्र शर्मा एवं श्री प्रेमचन्द्र शर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कि धारा 3/7, उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 के क्लोज 5 व 7 एवं फर्टिलाइजर (मूवमेंट कन्ट्रोल) आर्डर 1973 के तहत प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कि धारा 6 (ए) के तहत जब्त अवैध उर्वरक को राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्राथना पत्र पेश है।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि नोटिस कमांक 2022/240 दिनांक 27.09.2022 के संबंध में प्रार्थी की ओर से निम्न जवाब पेश किया जा रहा हैः–

राज्य सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार राजगढ जिला अलवर द्वारा पुलिस थाना टहला में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 232/2022 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की दर्ज करायी कि "गाडी सं. आरजे 32 जीबी 4161 में डीएपी उर्वरक भरा हुआ है और गाडी पालपुर पेट्रोल पम्पर पर खडी हैं। जो नकली डीएपी हो सकता हैं। सूचना मिलते ही राजगढ से मैं स्वयं गोकरण मीना उर्वरक निरीक्षक व कृषि अधिकारी (फसल) श्री विश्राम मीना कृषि अधिकारी (प्रशि०) व गाडी ड्राईवर इन्दरलाल मीना के साथ पुलिस के सहयोग से डीएपी उर्वरक से भरी हुई गाडी को पुलिस थाना टहला लेकर आये और दिनांक 24.09.2022 को 11.10 पीएम से पुलिस थाना टहला में वरक डीएपी का नियमानुसार नमूना संग्रहण कार्य किया। नमूना संग्रहण के साथ ही अवैध उर्वरक की जब्ती की गयी। नमूना संग्रहण से लेकर जब्ती कार्यवाही के समय पुलिस थाना टहला में कार्यरत श्री प्रेमराज कान्टेबल श्री विश्राम मीना एओसीटी व गाडी ड्राईवर इन्द्रलाल मीना एवं आरजे 32 जीबी 4161 के ड्राईवर आबिद की मौजूदगी में की गयी। गाडी ड्राईवर आबिद से बयान लेने पर अवगत कराया कि मैं सुका का बास महवा खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम हेमुदीन हैं। मैंने उर्वरक डीएपी के 75 बैग लाल डिग्गी, घोडा फोर चौराहे के पास अलवर एक गोदाम से भरे । मुझे उर्वरक पालपुर टहला तह० मो० 9057623818 श्री जितेन्द्र शर्मा के यहाँ पहुँचाने की मो० 9610522836 श्री प्रेमचन्द शर्मा द्वारा बोला गया। जिसका मुझे 3500 रूपये गाडी का किराया देना तय हुआ। मुझे किसी प्रकार बिल, बिल्टी व चालान नहीं दिया गया हैं। आदि ।। जिस पर प्रार्थी के वाहन सं. आरजे 32 जीबी 4161 को उसमें रखी हुई डीएपी उर्वरक को नकली बताकर जब्त कर लिया गया।

जिस पर श्रीमान द्वारा, प्रार्थी को उपरोक्त नोटिस, जो गाडी वर्तमान में पुलिस थाना टहला में खड़ी हैं, पर नोटिस कमांक 2022/240 भेजकर गलत तथ्यों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत नोटिस भेजकर जब्त अवैध उर्वरक को राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही करने बाबत प्रेषित किया गया हैं।

उक्त अभियोग सं. 232/2022 थाना टहला में जब्तशुदा वाहन का हरलाल मीना पुत्र रामपाल मीणा निवासी ग्राम खरखडा तहसील राजगढ जिला अलवर के नाम पंजीकृत हैं। जिस

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

वाहन की बाबत पंजीकृत मालिक हरलाल मीना द्वारा रायमान पुत्र मुहरू मेव निवासी ग्राम तेलिया बास, मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर को मुख्तयार आम नियुक्त कर उक्त वाहन की बाबत समस्त अधिकारात दिये हुए हैं तथा मुख्तयारआम रायमान द्वारा मिन प्रार्थी को उक्त वाहन पर बतौर चालक नियुक्त किया हुआ हैं। मिन प्रार्थी उक्त वाहन पर बतौर चालक के कार्य करता हैं। उक्त वाहन भाडे पर लाल डिग्गी से पालपुर (टहला) के लिए 3500 रूपये भाडे पर ले जाया गया था। जिसमें 75 उर्वरक के कटटे प्रेमचन्द शर्मा द्वारा रखे गये थे। जो जितेन्द्र शर्मा के पास पालपुर (टहला) के यहाँ पर पहुँचाया जाना था। जिसकी जानकारी प्रेमचन्द शर्मा व जितेन्द्र शर्मा दोनो को रही हैं मिन प्रार्थी का उक्त वाहन में रखे गये उर्वरक के कटटो की जानकारी किसी प्रकार से नहीं हैं मिन प्रार्थी एक वाहन चालक हैं जिसे मासिक वेतन मिलता हैं उस राशि से मिन प्रार्थी अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। जब मिन प्रार्थी ने प्रेमचन्द शर्मा से वाहन में रखे गये उर्वरक के कटटो के संबंध में बिल, बिल्टी वगैहरा की मांग की तो प्रेमचन्द शर्मा ने मिन प्रार्थी से वाहन के साथ–साथ चलने के लिए कहा कि बिल, बिल्टी वगैहरा मेरे पास हैं मैं आपकी गाडी के साथ–साथ चल रहा हूँ। जिससे इसमें मिन प्रार्थी की कोई बदयांती नहीं रही हैं। मिन प्रार्थी द्वारा कोई किसी प्रकार का अपराध या जुर्म कारित नहीं किया हैं मिन प्रार्थी एक मजदूर पेशा व्यक्ति हैं, जिसके पास ड्राईवर पेशे के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं हैं। मिन प्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया हैं। मिन प्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पूर्व में कोई मुकदमा किसी भी क्षेत्र में लम्बित व विचाराधीन नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि जवाब नोटिस स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थीगण बावजूद रजि0 तामील अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, दोनों पक्षों के तर्कों और उप निदेशक कृषि, राजकीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा जारी विश्लेषण रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार, दिनांक 24.09.2022 को मुखबिर से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर बोलेरो पिकअप गाड़ी नम्बर RJ 32 GB 4161 गाड़ी में संदिग्ध 75 बैग डीएपी उर्वरक भरा पाया गया। चालक आबिद ने पूछताछ में बताया कि यह माल लालडिग्गी, अलवर के पास एक गोदाम से भरा गया था और इसे प्रेमचन्द शर्मा के कहने पर जितेन्द्र शर्मा के पास पालपुर पहुँचाया जा रहा था। मौके पर चालक द्वारा उक्त उर्वरक परिवहन का कोई वैध बिल, बिल्टी या चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। उर्वरक के नकली होने के संदेह पर मौके पर ही नमूने लिए गए और 75 कट्टे डीएपी व वाहन को जब्त कर पुलिस थाना टहला को सुपुर्द किया गया। विभागीय पैरोकार, प्रार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब्तशुदा उर्वरक बिना किसी वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था, जो कि उर्वरक (संचालन नियंत्रण) आदेश 1973 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (FCO) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, जब्त शुदा उर्वरक की प्रयोगशाला जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें उक्त उर्वरक 'अमानक' (Non-Standard) घोषित किया गया है।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट क्रमांक 1743–45, दिनांक 14.10.2022 के अनुसार, जब्त किए गए डीएपी उर्वरक के नमूने विश्लेषण में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि नमूना नमी (Moisture), कुल और अमोनियाकल नाइट्रोजन (Total & Ammoniacal Nitrogen) तथा पानी में घुलनशील फॉस्फोरस (Water Soluble Phosphorus) की मात्रा में विफल (Fail) रहा है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 19 के तहत अमानक उर्वरक का निर्माण, भंडारण या बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। चूंकि प्रयोगशाला रिपोर्ट में यह सिद्ध हो चुका है कि जब्तशुदा डीएपी उर्वरक निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा है और अमानक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

है, इसलिए यह कृषि कार्यों में उपयोग के योग्य नहीं है। ऐसे अमानक उर्वरक का बाजार में परिचालन किसानों के हितों के प्रतिकूल है और फसल उत्पादन को गंभीर क्षति पहुँचा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी आवश्यक वस्तु (उर्वरक) का परिवहन या भंडारण करते समय उससे संबंधित वैध बिल या स्टॉक रजिस्टर का होना अनिवार्य है। हस्तगत प्रकरण में, जब्ती के समय कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कालाबाजारी और अवैध व्यापार की ओर इंगित करता है। चूँकि उक्त उर्वरक अमानक एवं कृषि योग्य नहीं है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का 6–ए प्रार्थना पत्र जब्त किए गए 75 डीएपी उर्वरक बैग को राजसात/निस्तारण हेतु अनुकूल माना जाता है। उक्त कृत्य बीज नियंत्रण आदेश 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जब्तशुदा 75 डीएपी उर्वरक बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा सम्बद्ध बीज/उर्वरक नियंत्रण प्रावधानों के अनुसार राजसात किया जाता है तथा उसके निस्तारण (नष्ट करना/अन्य नियमानुसार) का आदेश दिया जाता है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार राजगढ़, अलवर (राज0) को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा 75 डीएपी उर्वरक बैग, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)